न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–अयोध्या।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1287/2026

बी0 ए 0 सं0–

18.08.2026

अभियुक्ता/प्रार्थिनी राशीदा खातून अपराध संख्या–156/2019 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 427 भा०दं०सं० थाना को० नगर जिला अयोध्या के मामले में आत्मसमर्पण करके न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त–पक्ष की ओर से कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अतः जमानत पर अवमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र उभयपक्ष को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि आरोपित अभियोग सात वर्ष व उससे कम की सजा से दण्डनीय है। अतः अभियुक्त की भूमिका एवं अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आ दे श

अभियुक्ता/प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा मु0 20,000/–रूपये की दो जमानत एवं इसी धनराशि का स्वबन्ध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

(पीयूष त्रिपाठी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अयोध्या